

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/1016)

प्रार्थीगण

बनाग

अप्रार्थीगण

दिनांक - 31/12/25

1 नेनाराम पुत्र नगाराम 2 पूरोंदेवी पत्नि नगाराम 3 मगनाराम पुत्र नगाराम जाति जाट निवासी फकीरों की बस्ती, कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 अनोपाराम पुत्र देदाराम वगैराह जातियान प्रजापत तहसील निवासी फकीरों की बस्ती, रोहिली बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-331/2025 दिनांक- 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा फकीरों की बस्ती पटवार हल्का कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 380/24 रकबा 7.9723 हैक्टेयर व खसरा संख्या 382/24 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/10162 - 65

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नेनाराम पुत्र नगाराम जाति जाट निवासी फकीरों की बस्ती, कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अनोपाराम पुत्र देदाराम वगैराह जातियान प्रजापत तहसील निवासी फकीरों की बस्ती, रोहिली बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर